P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-I*September-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

राजनीति का अपराधीकरण और वोहरा कमेटी की रिपोर्ट

अमितेन्द्र प्रताप सिंह
असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
(अतिथि प्रवक्ता),
राजनीति विज्ञान विभाग,
इलाहाबाद डिग्री कालेज,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

सारांश

वर्तमान भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में राजनीति और अपराध के मध्य चोली–दामन का साथ हो गया हैं। आज इनके मध्य स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना बहुत कठिन हो गया है। आज हालात इतने गम्भीर है कि राजनेता चुनाव बूथों पर कब्जा करने और मतदाताओं को डराने–धमकाने के लिए गुंडे पालते हैं, कोढ़ मे खाज यह है कि ये गुंडे कालान्तर में अपने मालिको को ही धकिया कर स्वयं राजनीति में आ रहे है।

राजनीति में अपराधियों का महत्व, पहुँच, असर व मौजूदगी इतनी अधिक बढ़ गयी है कि राजनीतिक गलियारों में अपराधियों की ही धूम मची है और हमारी संसद व राज्यों की विधान सभायें अपराधियों के अड्डों के रूप में तब्दील होती जा रही है। ''हमारी चुनाव प्रणाली मुख्यतः तीन 'एम' मनी पावर (धन बल), मसल पावर (बाहुबल), मिनिस्ट्रीयल पावर (मंत्रिपरिषद् की ताकत) अर्थात् सरकारी तंत्र के दुरूपयोग से पीड़ित हैं। इसे तीन 'सी' कैश (पैसा), क्रिमिनल्स (अपराधी व बाहुबली) करप्सन (भष्टाचार) भी कहा जाता है।

राजनीतिक गठजोड़ों ने भी अपने स्तर पर अपराधीकरण में वृद्धि की है। गठजोड़ की राजनीति में क्षेत्रीय एव साम्प्रदायिक शक्तियों का ध्रुवीकरण तो हुआ ही है साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों एवं राष्ट्रीय भावना का क्षरण भी हुआ है। राजनीतिज्ञ अपराधी गठजोड़ पर वोहरा रिपोर्ट के निष्कर्षो का सार यह है कि देश के अपराधियों के गिरोहों, हथियारबंद नेताओं, तस्करों के गिरोहों, नशीली दवाओं के व्यापारियों और आर्थिक लावियों का काफी विस्तार हो चुका है और इन्होंने अफसरशाही, सरकारी संस्थाओं,राजनीतिज्ञों, मीडिया के लोगो और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ सम्पर्क का व्यापक जाल बना लिया है। इनमें से कुछ गिरोहों का विदेशी खुफिया एजेंसियों से भी सम्बन्ध है।

मुख्य शब्द : लोकतांत्रिक शासन। ,तीन 'एम' – मनी पावर (धन बल), मसल पावर (बाहुबल), मिनिस्ट्रीयल पावर (मंत्रिपरिषद् की ताकत), तीन 'सी' कैश (पैसा) ,क्रिमिनल्स (अपराधी व बाहुबली) करप्सन (भ्रष्टाचार), लोकतांत्रिक मूल्य, आपराधिक गठजोड़, शराफत का गवन, राजनीतिक शून्यता, गठजोड़ की राजनीति, दृढ़ इच्छा शक्ति,

प्रस्तावना

भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में राजनीति और अपराध परस्पर इतने घुलमिल गये हैं कि इनके मध्य स्पष्ट विभाजक–रेखा खींचना बहुत कठिन हो गया है। राजनीति में बढ़ते अपराध पर या तो फातिहे पढ़े जाते रहे हैं अथवा नेतागण पाखण्डपूर्ण बयान देते रहते हैं अथवा घड़ियाली ऑसू बहाते रहते हैं। आज स्थिति यह है कि बुद्धिजीवी, राजनीति में प्रवेश करने से डरता है अथवा भयभीत होकर एक ओर चुपचाप बैठ गया है। जो लोग प्रवेश करते हैं अथवा उसमें टिके रहना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक हो गया है कि वे अपराध–जगत् का सहयोग लें। आज हालत इतनी गम्भीर है कि राजनेता चुनाव बूथों पर कब्जा करने और मतदाताओं को डराने–धमकाने के लिए गुंडे पालते हैं। कोढ़ में खाज यह है कि ये गुंडे कालान्तर में अपने मालिकों को ही धकिया कर स्वयं राजनीति में आ रहे हैं।

भारतीय राजनीति में अपराधीकरण एक कलंक रूप में है, जिसके कारण लोकतंत्रात्मक शासन में बहुत से ऐसे राजनीतिक नेता व अपराधी किस्म के व्यक्ति सक्रिय हो गये है, जिनका लोकतांत्रिक प्रणाली और लोकतान्त्रिक मूल्यों में कोई विश्वास, आस्था व श्रद्धा नहीं है। ये लोग हिंसा को प्रोत्साहित करते हैं। अनैतिक, हिंसक और अलोकतान्त्रिक गतिविधियों के द्वारा देश की एकता, अखण्डता, सभ्यता संस्कृति को विनाश की ओर बड़ी तेजी से ले जा रहे

हैं। राजनीति में अपराधियों का महत्व, पहुँच, असर व मौजूदगी इतना अधिक बढ़ गया है कि राजनीतिक गलियारों में अपराधियों की ही धूम मची है और हमारी संसद व राज्यों की विधान सभायें अपराधियों के अड्डों के रूप में तब्दील होती जा रही है। ''हमारी चुनाव प्रणाली मुख्यतः तीन 'एम' मनी पावर (धन बल) मसल पावर (बाहुबल), मिनिस्ट्रीयल पावर (मंत्रिपरिषद् की ताकत) अर्थात्, सरकारी तंत्र का दुरूपयोग से पीड़ित है। इसे तीन 'सी' कैश (पैसा), क्रिमिन्नलस (अपराधी व बाहुवली) करप्सन (भ्रष्टाचार) भी कहा जाता है।[1]

आज राजनीति में टिके रहने के लिए यह आवश्यक–सा बन गया है कि अपराध–जगत् का सहयोग प्राप्त किया जाये। फलतः भारत की राजनीति में आज अनेक जाने–माने अपराधी प्रतिष्ठित हो चुके हैं। प्रायः प्रत्येक राजनीतिक दल के नेता अन्य राजनीतिक दलों को माफियाओं का गिरोह बताते रहते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे राजनीतिक जीवन में अपराधवृत्ति का समावेश आरम्भ से ही रहा है। सन् 1948 में जयपुर में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन में भ्रष्टाचार वाली बात सर्वप्रथम सामने आयी थी। इसकी चर्चा करने वाले श्री महेशदत्त मिश्र को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद जीप घोटाला सामने आया। उसको भी दबा दिया गया।

सन् 1952 से भारतीय संविधान के अनुसार चुनावों की प्रक्रिया चली। संविधान की ओट में सभी प्रकार के व्यक्ति चुनावों में भागीदारी करने लगे और लोक–व्यवहार की अनेक मर्यादायें टूटने लगी। स्थिति यह बन गयी कि संविधान की शपथ लेने वाले व्यक्ति ही अपराध करने लगे। इस दोमुंही राजनीतिक परम्परा ने राजनीति और अपराध जगत का चोली–दामन का साथ कर दिया। उल्लेखनीय यह है कि अपराध और भ्रष्टाचार के प्रश्न को संसद में उठाने वाले सांसदों को दो बार बुरी तरह झिड़क दिया गया था। एक बार स्व0 पं0 जवाहरलाल नेहरू ने यह कह कर बोलने वाले को चुप कर दिया था– इन बातों को ज्यादा बढ़ा–चढ़ाकर कहना बेहूदगी है। दूसरा अवसर तब था, जब स्व0 श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह कहकर बात टाल दी थी कि भ्रष्टाचार तो अन्य देशों में भी है। विडम्बना यह है कि पुलिस के संरक्षण में येन–केन प्रकारेण चुनाव सम्पन्न करा लेने को ही लोकतंत्र का सर्वस्व माना जाने लगा है और कहा जाने लगा है कि भारत में लोकतंत्र की जड़े जम गयी हैं, जबकि यह भुला दिया गया है कि लोकतन्त्र के साथ अपराध–जगत् भी अपने को कितनी गहरी नींव देता जा रहा है।

आज आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अनेक व्यक्ति राजनीति में सक्रिय दिखायी देते हैं, प्रायः समस्त राजनीतिक दल लोकसभा अथवा विधान सभाओं के चुनाव जीतने के लिये अपराधियों को खुलेआम टिकट देते हैं। वर्षो तक अण्डरवर्ल्ड के सरगना रहे लोग अपनी नई पार्टियाँ बनाकर जनता के नायक बन गये हैं। इतना ही नहीं, अनेक अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। ये लोग फल–फूल तो रहे ही हैं, साथ ही सामाजिक व्यवस्था एवं वातावरण को दूषित कर रहे हैं। परिणाम यह हुआ है कि प्रशासनिक तंत्र या तो मूकदर्शक बन गया है अथवा वह आपराधिक गठजोड़ की कठपुतली बन कर रह गया है। इस स्थिति की भयावहता का अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व निर्वाचन आयुक्त श्री बी0 जी0 कृष्णमूर्ति ने कहा कि ''कानून तोड़ने वाले लोग ही कानून बनाने वाले लोग होते आ रहे हैं। मजे की बात यह है कि प्रत्येक राजनीतिक दल अन्य समस्त दलों को माफियाओं का दल बताता है। इसका कौन जवाब देगा कि शराफत का गबन कहाँ हो रहा है? जो भी हो, स्वस्थ लोकतान्त्रिक विकास में यह प्रवृत्ति एक अत्यन्त सकारात्मक भूमिका अदा करती रहती है।''

स्वतन्त्रता–प्राप्ति के बाद प्रथम तीन आम चुनावों तक तो ऐसा प्रतीत होता था कि भारत में स्वस्थ लोकतन्त्र की स्थापना हो गयी है और वह इस देश में गहरी जड़े पकड़ता जा रहा है, परन्तु सन् 1967 के बाद के निर्वाचनों में उक्त धारणा का खण्डन ही नहीं हुआ है, बल्कि भारतीय राजनीति में नैतिक एवं चारित्रिक पतन जड़ें पकड़ता जा रहा था। इस प्रक्रिया का आरम्भ तब हुआ, जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपनी स्थिति सुरक्षित रखने के लिये गांधी और नेहरू की पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस के भविष्य को दाँव पर लगा दिया। पहले उन्होंने मेरारजी देसाई, निजलिंगप्पा सदृश पुराने कर्मठ स्वतन्त्रता सेनानियों को कांग्रेस छोड़ने पर विवश किया और उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में जिन लोगों ने श्री संजीव रेड्डी के नाम का प्रस्ताव किया, मतदान के समय उन्हीं के विरूद्ध वोट दिया और अन्य लोगों से वोट दिलवाये। नैतिक, राजनीतिक एवं चारित्रिक पतन के इस अभूतपूर्व उदाहरण ने राजनीति को इस कदर गंदा कर दिया, जिसकी सफाई करना आज असम्भव बन गया है।

उसके बाद श्रीमती गांधी ने सन् 1975 में आपातकाल की घोषणा करके तथा तानाशाही का ताण्डव करके भारत के अशिक्षित एवं निरीह देशवासियों को प्रकारान्तर से यह बता दिया कि लोकतन्त्र का यह भी एक रूप हो सकता है। उनकी अकाल मृत्यु के बाद वंशवाद की राजनीति के समर्थको ने उनके पुत्र, श्री राजीव गांधी को नेतृत्व प्रदान कर दिया । राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व में राजनीतिक शून्यता का वातावरण बन गया। आपातकालीन स्थिति की समाप्ति के बाद होने वाले चुनावों में श्रीमती इन्दिरा गांधी पराजित हो गयी थीं। दुबारा शक्ति में आने के लिए अपने बेटे संजय गांधी की सहायता से उन्होंने कतिपय असामाजिक तत्वों को एकत्र किया और चुनावों के समय उन्हें राजनीति में उतार दिया। उनमें कई व्यक्ति चुनावों में विजयी हुए। इस प्रकार अपराधियों के राजनीति में सक्रिय होने की अस्वस्थ परम्परा चल पड़ी। राजनीति में अपराधियों के आगमन की यही पृष्ठभूमि है। अपराधीकरण के सहायक के रूप में आर्थिक घोटालों की परम्परा चल पड़ी, जिनसे भारत का बच्चा–बच्चा अवगत है। रिक्शे वाला भी यह कहता हुआ सुना जा सकता है कि जब हमारे आका भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तब हम ऐसा करते हैं तो क्या बुरा करते हैं? स्थिति यह बन गयी है कि देश से बड़ा दल है और दल से बड़ा

व्यक्ति का घर है, जिसको सब प्रकार भरा–पूरा करना हमारे राजनेताओं का प्रथम कर्तव्य एवं जीवन की प्राथमिकता बन गयी है। येन केन प्रकारेण धनोपार्जन के लिए व्यक्ति जो कुछ भी कार्य कर सकता है वे सब हमारे देश की राजनीति के अंग बन गये हैं।

'' भारत की राजनीति में सत्तर के दशक में युवक कांग्रेस के बढ़ते प्रादुर्भाव के साथ राजनीतिक दलों में ऐसे लोगों की संख्या धीरे–धीरे बढ़ती गयी जो किसी न किसी रूप में अपराध जगत से जुड़े थे।''[2] भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक अपराधीकरण के आकड़ों पर नजर डाले तो राजनीति के अपराधीकरण के आकड़े अत्यन्त भयावह है। ''28 अगस्त 1997 को तत्कालीन चुनाव आयुक्त श्री कृष्ण मूर्ति जी ने उद्घाटित किया कि 1996 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में 1500 के अपराधिक रिकार्ड थे। 2009 को लोकसभा तथा विधानसभा सदस्यों में 641 ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक प्रकरण हत्या, हत्या का प्रयास, रेप डकैती, अगवा करने के पंजीबद्ध हैं।''[3]

उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ष 2007 के विधान सभा चुनाव में बसपा सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार चुनाव में उतारे थे जबकि दूसरे स्थान पर सपा ने 27.01, भाजपा ने 23.05 तथा कांग्रेस ने 21.06 दागी उम्मीदवार को टिकट बाटे।''[4] 2007 के विधान सभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के कंधो पर सवार होकर 200 से अधिक ऐसे नेता विधान सभा में पहुँचे जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। ''बसपा के 68, सपा के 47, भाजपा के 18 विधायक, कांग्रेस के 9 विधायक तथा शेष निर्दलीय। इनकी कुल संख्या विधान सभा के कुल सदस्यों के एक तिहाई से अधिक।''[5] राजनीति दल सचेत नहीं हुए तो संभव है कि आगामी चुनाव में ऐसे माननीयों का आकड़ा 70 फीसदी से ऊपर पहुँच जाये। ''सन् 1985 में 35 विधायक 1989 में 50 विधायक, 1991 में 102 विधायक, 1993 में 132 विधायक, 1996 में 140 विधायक तथा 2002 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 206 दागी विधायक सदन की शोभा बढ़ा रहे थे।''[6]

राजनीतिक दलों में अपराधी चरित्र के लोगों को सिर पर बिठाये जाने और महत्वाकांक्षाओं में इजाफा होने से राजनीतिक हत्याएं भी बढ़ी है। पहले तो बिहार लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश में भी अपराधीकरण हद दर्जे तक पहुँच गया है। ''इसके चलते राजनेताओं ने अपने प्रतिद्वन्दियों को राजनीतिक या वैचारिक रूप से संभव नहीं हुआ तो शारीरिक रूप से साफ करने की प्रवृत्ति बढ़ती गयीं नतीजन नेताओं पर जानलेवा हमले बढ़े। पिछले दशक में मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायकों, पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों के अलावा बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं समेत 300 से अधिक लोग मारे गये।''[7] उत्तर प्रदेश राजनीतिक हत्याओं के मामले में अब सिर्फ बिहार से पीछे है। संभवतः गंभीर राजनीतिक दुश्मनी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार राजनीतिज्ञों की जान की रक्षा की खातिर हर साल करीब 50 करोड़ रू0 खर्च कर रही है और उनकी सुरक्षा के खातिर 3000 से अधिक पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है।''[8] यह आंकड़ो दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है। यदि राजनीतिक हत्याओं की बात करे तो यह 50 और 60 के दशक में राजनीतिक हत्या के मामले नहीं के बराबर थे। ऐसी घटनाओं की शुरूआत 70 के दशक के आखिरी में हुई और 80 के दशक में बढ़ी तथा 1996 के बाद से स्थिति बदतर होती जा रही है।

15वीं लोकसभा चुनाव 2009 में लोकसभा में 162 सांसदों के विरूद्ध आपराधिक एवं 76 के विरूद्ध गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। राज्य विधान सभाओं के स्तर पर 4032 विधायकों में से 1258 (31%) पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है और 15 पर गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। झारखंड में 74 में से 55 पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है वहीं बिहार की 2010 की विधानसभा में 58 विधायकों पर आपराधिक मामला दर्ज है। विलक्षण तथ्य यह है कि मणिपुर विधान सभा में एक भी ऐसा विधायक नहीं जिस पर अपराध पंजीकृत हो।''[9]

नेशनल इलेक्सन वॉच (NEW) और एसोसियेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (ADR) ने 16वीं लोकसभा चुनाव के 543 में से 541 सदस्यों के शपथ पत्र के विश्लेषण के आधार पर कहा है कि 186 अर्थात् 34% नव निर्वाचित सांसदों ने अपने शपथ पत्र में खुलासा किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले है। 2009 में 30% लोकसभा सदस्यों के खिलाफ सौहार्द आपराधिक मामले थे इसमें 4% की बढ़ोत्तरी हो गयी है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 2014 के चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले एक प्रत्याशी के जीतने की संभावना 13% रही जबकि साफ छवि के प्रत्याशियों के मामले में यह 5% रही। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 186 नये सांसदों में से 112 ने अपने खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आपराधिक मामले होने की घोषणा की है। 2 सांसदों के शपथ पत्र का विश्लेषण नहीं हो पाया क्योंकि वे अधूरे और अस्पष्ट थे। राजनीतिक दलवार विश्लेषण में सबसे ज्यादा सदस्य भाजपा में है। पार्टी के 281 सदस्यों में से 98 यानि 35% ने अपने शपथ पत्र में आपराधिक मामले दर्ज होने की बात की है। कांग्रेस के 44 में 8 (18%) ए. आई. ए. डी. एम. के 37 मे 6 (16%) शिवसेना के 18 में 15 (83%) तृणमूल के 34 में 7 (21%) ने आपराधिक मामले दर्ज होने का खुलासा किया है।''[10]

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् विभिन्न प्रकार की विकृतियां भारतीय राजनीति मे प्रविष्ट होने लगी जिससे सम्पूर्ण वातावरण दूषित होने लगा।''[11] आज जिस तरह के लोग विधानसभाओं और संसद में चुनकर आ रहे हैं उससे भी आम लोगों के बीच इन संस्थाओं की गरिमा गिरी है। जब संसद में मन्त्रियों के हाथों से विधेयक लेकर फाड़ दिये जाते है, विधान सभाओं में विधायक एक दूसरे पर माइको से हमला व मारपीट की घटनाएं घटित होती रहती है, हमारे माननीय मंत्रीगण सरेआम हवाई जहाजों में एयर होस्टेजों से छेड़खानी, सवालों का सौदा, सांसद निधि का दुरूपयोग, भष्ट्राचार, सांसदो व विधायकों का बोली लगाना ''अपराधियो, असामाजिक तत्वो, पाखंडियों की गिरफ्त में आती जा रही चुनाव व्यवस्था, हंगामें, बहिष्कार व धरनों के अड्डे बनती जा रही विधायिका,

घोटालों षड़यन्त्रों, तिकडम बाजी, बयान बाजी, थोथे दौरो में व्यस्त रहने वाले राजनेताओं की राजनीति, परिवारवाद व जाति पर आधारित दलीय व्यवस्था तथा धर्मान्माद, प्रतिशोध, आडम्बर, कट्टर पंथ को बढ़ाने वाली धर्म निरपेक्षता, तथा असामाजिक तत्वों से मेल जोल रखने वाली पुलिस व्यवस्था।''[12] प्रचार के लिए विधान मण्डलों में गतिरोध की राजनीति, वोट व समर्थन प्राप्त करने के लिए अल्पकालिक राजनीतिक निर्णय, व्यक्ति विन्यासित दलों का उद्भव आदि इस घृणित राजनीति के कुछ पहलू है।''[13]

दूसरी ओर मतदाता भी यह देखता है कि मैं अपना मत उस व्यक्ति को दूँ, जो मेरे काम का व्यक्ति हो अथवा कुर्सी पर बैठने के बाद हमारे जा–बेजा काम कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता भी भ्रष्टाचार एवं अपराध के प्रति प्रतिबद्ध होने लगी है। भारतीय राजनीति की पूर्व पीढ़ी का अध्येता यह भली प्रकार देख सकता है कि परतंत्र भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए जहाँ सिद्धान्तों, अनुशासन, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, बहिष्कार, स्वदेशी एवं अहिंसा जैसे पवित्र अस्त्रों का सहारा लिया गया था, वहीं स्वतन्त्र भारत के निर्माण की राजनीति में आज हिंसक, असामाजिक एवं संदिग्ध चरित्र वाले, स्वार्थी एवं सत्ता–लोलुप व्यक्तियों का निर्बाध प्रवेश एवं बोलबाला हो रहा है।

स्वतंत्रता के बाद होने वाले प्रथम चुनाव और वर्तमान में होने वाले चुनाव में नेताओं की मानसिकता एवं उनके सोच में कितना अन्तर आ गया है, उसका एक उदाहरण दिया जाता है। लोकसभा के प्रथम चुनाव में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बना दिया था, जिसकी पृष्ठभूमि आपराधिक थी। चुनाव–प्रचार के दौरान पं0 जवाहर लाल नेहरू को वास्तविकता का पता चल गया। चुनाव सभा में पं0 नेहरू ने जनता से अपील में यह कहा था कि वह कांग्रेस प्रत्याशी को वोट न दें, क्योंकि वह तालाब के पानी को गंदा कर देने वाली मछली के समान है। आज स्थिति एकदम उलटी हो गयी है। अब अपराधी, नेता अपराधियों के लिए प्रचार करते हुए देखे जाते हैं। सब एक–दूसरे को अपराधी कहते हैं, यानी राजनीति के हमाम में सब नंगे हैं। हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक दल हो जिसमें अपराधियों का वर्चस्व न हो और जिन्हें संरक्षण प्राप्त न हो। इस पर तुर्रा यह है कि प्रत्येक राजनेता अपराधीकरण के कारण भावी समाज पर पड़ने वाला कुप्रभाव के प्रति चिन्तित दिखायी देता है।

यदि हम राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के कारणों पर गौर करें तो इसका प्रमुख कारण है– चुनावों मे धन का महत्व बढ़ जाना। इसी के साथ जनशक्ति का भी महत्व बढ़ गया है। हमारे देश के चुनाव इतने अधिक व्ययसाध्य हो गये हैं कि इनके लिये पर्याप्त साधन जुटाने के लिए भाँति–भाँति के गठबंधन एवं वायदे करने होते हैं और फिर उसे चुकाने के लिए कुछ भी करते हुए संकोच का प्रश्न ही नहीं उठता है। फलतः राजनीतिज्ञ क्रमशः धनशक्ति, बाहुबल एवं शक्ति प्रदर्शन हेतु अपराधियों के समर्थन एवं सहयोग पर आश्रित हो गये हैं।

आवश्यकता और योग्यता के प्रति शासन के उत्तरदायी न होने के कारण भी अपराध वृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। पहले असंतोष प्रकट होता है, फिर विद्रोह। विद्रोह की सीमा जघन्य अपराध है ही। राजनीति के अत्यधिक प्रभाव ने प्रशासन को भी भ्रष्ट कर दिया है। इस प्रकार भ्रष्ट प्रशासन के माध्यम से राजनीति अपराधवृत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस दुष्प्रवृत्ति की चरम सीमा यह है कि इससे न्यायपालिका भी अछूती नहीं रही है।

राजनीतिक गठजोड़ों ने भी अपने स्तर पर अपराधीकरण में वृद्धि की है। गठजोड़ों की राजनीति में समस्त सिद्धान्तों को तिलांजलि दे दी गयी है। परस्पर विरोधी सिद्धान्तों वाले दलों तथा एक–दूसरे के जानी–दुश्मनों को एक साथ चलाने वाली पटरी केवल अपराधवृत्ति ही हो सकती है। भ्रष्टाचार रूपी सीमेण्ट इन्हें एक साथ चिपकाये रखता है। गठजोड़ की राजनीति में क्षेत्रीय एवं साम्प्रदायिक शक्तियों का ध्रुवीकरण तो हुआ ही है, साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों एवं राष्ट्रीय भावना का क्षरण भी हुआ है। इसने समस्त मानवमूल्यों एवं मानवाधिकारों को धता बता दिया है। क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता, जातीयता, स्वार्थपरता आदि की आधारभूमि पर अपराधी तत्त्वों का वर्चस्व स्वाभाविक है। राजनीतिज्ञ–अपराधी गठजोड़ पर वोहरा रिपोर्ट के निष्कर्षो का सार यह है कि देश के अपराधियों के गिरोहों, हथियारबंद नेताओं, तस्करों के गिरोहों, नशीली दवाओं के व्यापारियों और आर्थिक लाबियों का काफी विस्तार हो चुका है और इन्होंने अफसरशाही, सरकारी संस्थाओं, राजनीतिज्ञों, मीडिया के लोगों और महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ सम्पर्क का व्यापक जाल बना लिया है। इनमें से कुछ गिरोहों का विदेशी खुफिया एजेंसियों से भी सम्बन्ध है। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि चुनाव लड़ने में व्यय किया जाने वाला खर्च राजनीतिज्ञों को इन तत्त्वों की शरण में ले जाता है और इस तरह अपराधों की जाँच के काम में भी कोताही आ जाती है। बिहार, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि कुछ राजनीतिज्ञ हथियारबंद सेनाओं और गिरोहों के मुखिया बन जाते हैं और कुछ वर्षो में वे स्थानीय निकायों, विधानसभाओं या राष्ट्रीय संसद में प्रवेश करने में समर्थ हो जाते हैं।

रिपोर्ट में आगे स्पष्ट कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्को वाले तस्करों के गिरोह हवाला और काले धन के जरिए समानान्तर अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, जिससे देश का आर्थिक ताना–बाना क्षत–विक्षत हो गया है। इन गिरोहों की ताकत इतनी ज्यादा है कि इन्होंने सरकारी मशीनरी तो भ्रष्ट कर ही दी है, इनके चंगुल में न्यायपालिका के लोग भी आने लगे हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य है, वर्तमान भारतीय राजनीति में अपराधियों को मिल रहे राजनीतिक संरक्षण को उजागर करना तथा राजनीतिक एवं आपराधिक गठजोड़ को किस प्रकार तोड़कर सामाजिक व्यवस्था तथा

वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, को स्पष्ट करना है। जिससे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। अध्ययन के माध्यम से वोहरा कमेटी के प्रतिवेदन को अमलीजामा पहनाकर किस प्रकार राजनीतिक अपराधीकरण को रोका जा सकता है, यह भी स्पष्ट किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य है कि जन जागरूकता के माध्यम से राजनीति को अपराध जगत से बचाया जा सके जिससे भारतीय राजनीति में स्वच्छ छवि के लोग आ सके तथा संकट मे फंसे इस लोकतान्त्रिक देश की रक्षा की जा सके। इस अध्ययन का उद्देश्य है राजनीति का अपराधीकरण रोककर जनता मे एक निर्मल एवं स्वच्छ लोकतंत्र की भावना का संचार करना। वर्तमान भारतीय राजनीति को कुत्सित करने वाले लोगो को राजनीति से अलग रखकर ही भारतीय लोकतंत्र के सपने को साकार किया जा सकता है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह अध्ययन किया गया है। अतः इसका मुख्य उद्देश्य राजनीति को अपराध जगत से मुक्त कराना है, साथ ही साथ भारतीय लोकतंत्र को प्रभावी एवं सशक्त बनाना है।

निष्कर्ष

परन्तु ऐसा नहीं है कि पतित हो चुकी इस व्यवस्था में अब सुधार की गुंजाइश ही नहीं रही। सुधार के प्रयास तो हो ही सकते हैं और यदि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये प्रयास होंगे तो सफलता भी अवश्य मिलेगी।सर्वप्रथम मतदाताओं को वास्तविकता के प्रति जागरूक होना चाहिए। तदुपरान्त बहुत सोच–समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। वे तटस्थ भाव से अपने मत का प्रयोग तभी कर सकेंगे जब वे किसी प्रकार के व्यक्तिगत लाभ, लालच के वशीभूत नहीं होंगे। भ्रष्ट व्यक्तियों को चुनने वाले भी भ्रष्ट होने चाहिए। हमारी चुनाव–प्रणाली में इस प्रकार के सुधार किये जाये कि वह इतनी व्यवसाध्य न रह जाये, यदि ऐसा हो जायें तो चारों ओर की जन समस्याओं को राष्ट्रीय समस्याओं का रूप देना चाहिए तथा राजनीतिक समस्याओं को भी इन पर आधारित किया जाना चाहिए। प्रत्येक राजनीतिक दल को सोच लेना चाहिए बस, जब तक स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति राजनीति में नही जायेंगें, तब तक उद्धार असम्भव है। इसके साथ ही अपराधी पृष्ठभूमि वाले राजनीतिज्ञों को बहिष्कृत करने के प्रयत्न किये जाने चाहिए। सत्ता से जुड़े हुए अधिकारों तथा सुख–सुविधाओं में कमी की जानी चाहिए। इस संदर्भ में गाँधी की शिक्षाओं को अधिक–से –अधिक व्यवहार में लाया जाना चाहिए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन ने इस दिशा में जो प्रयत्न किये थे, उन्हें पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए तथा इस संदर्भ से जुड़े अन्य प्रयत्न भी किये जाने चाहिए। राजनीति, नौकरशाही और माफिया के त्रिभुज–ने देश को जकड़ रखा है और उसे उजाड़ दिया है– विशेषकर उसके नैतिक जगत को इस त्रिभुज के बल पर देश में समानान्तर सरकार, विशेषकर अर्थव्यवस्था चलायी जा रही है। देश की खुफिया और कानून की देखभाल करने वाली व्यवस्था के मध्य तालमेल स्थपित करना परम आवश्यक है।

यह भी आवश्यक है कि समस्त राजनीतिक दल अपने लिए एक समान आचार संहिता बना लें और तदनुसार आचरण करें। बुद्धिजीवी वर्ग जनता को सम्यक् मताधिकार प्रयोग के प्रति शिक्षित करें। चुप और तटस्थ रहने वाला बुद्धिजीवी कर्त्तव्यच्युत एवं उत्तरदायित्व विमुख माना जाता है। भावी सन्तान इसके लिए उसे कदापि क्षमा नहीं करेगी राजनीति का अपराधीकरण जितना भयंकर रूप धारण कर चुका है, उसके निराकरण के लिए उतने ही दृढ़ संकल्प एवं इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मेंदीरत्ता एम0ए0 : राजनीति का अपराधीकरण, योजना, सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, जनवरी 2009, पृ0 15
2. डॉ0 जैन राजेश तथा डालचन्द्र जैन : भारतीय राजनीति के नये आयाम, कालेज बुक डिपो, जयपुर, 2009 पृ0 241
3. डॉ0 शुक्ल अखिलेश व डॉ0 सन्ध्या शुक्ला : समकालीन भारतीय समाज में अपराध, गायत्री पब्लिकेशन, रीवा, 2015, पृष्ठ 166
4. शुक्ल सुमित : राजनीति के जल्लाद, मासिक समाचार पत्रिका, आखिर कब तक, अप्रैल 2010, पृ0 14
5. मिश्र हरिशंकर : राजनीति में अपराधीकरण, दैनिक जागरण समाचार पत्र, 2 फरवरी, 2010 पृ0 46
6. मिश्र सुभाष : बढ़ता ही जा रहा है कुनवा इनका, इण्डिया टुडे, 11 अप्रैल 2007, पृ0 46
7. मिश्र सुभाष : रक्त से सनी राजनीति, इण्डिया टुडे, 13 दिसम्बर 2000 पृ0 24
8. वही, पृ0 25
9. 7 Source : Analysis of Criminal and Financial detail of MPs of 15th Loksabha (2009) report : National Election watch and association for democratic Reforms, website www.adrindia.org.com
10. www newsbharti.com
11. पाण्डेय राजकुमार : भारत में चुनाव आचार संहिता, सिविल सर्विसेज क्रानिकल, अप्रैल 2009, पृ0 14
12. प्रो0 खण्डेला मानचन्द्र : भारतीय राजनीति सिद्धान्त एवं व्यवहार, पोइन्टर पब्लिकेशन, जयपुर, 2001, पृ0 19
13. डॉ0 मोदी महाबीर प्रसाद व डॉ0 सरोज मोदी : भारतीय राजनीति की प्रवृत्तियाँ, कालेज बुक डिपो, जयपुर, 2009, पृ0 48